न्यायालय में – श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल कैम्प रीवा संभाग रीवा म0प्र0

R. 5154-पी/16

शंभू उम्र 60 साल पिता भोमा बैगा निवासी वार्ड नं0 1 मौलाना आजाद स्कूल के पास (जिला न्यायालय के पास) सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 ———**आवेदक**

विरूद्ध

1. जोहरा बेगम उम्र 53 साल पत्नी हकनवाज मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 1 मौलाना आजाद स्कूल के पास (जिला न्यायालय के पास) सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा ललित कुमार पिता रामाधीन धार्वे, राजस्व निरीक्षक तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 ———**आवेदकगण**

निगरानी विरूद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सोहागपुर नं0 1 तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 के सीमांकन प्रकरण क्र0 19/अ–12/2012–13 म0प्र0 शासन विरूद्ध श्रीमती जोहरा बेगम में पारित आदेश दिनांक 30.04.2013

श्री .... आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
शहडोल संभाग

मान्यवर,

मामले के तथ्य

अनावेदिका जोहरा बेगम द्वारा दिनांक 16.01.2008 को विक्रेता हमीद खां जरिये मुख्त्यार आम अब्दुल वजूद से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा ग्राम सोहागपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल की आराजी खसरा नं0 1417/4 जुज रकवा 40 X Z75 = 3000 वर्गफिट जमीन खरीदी गई, तथा आवेदिका द्वारा दिनांक 24.04.2008 को खसरा नं0 1417/4/3 की ऋण पुस्तिका बनवाई गई।

अनावेदिका जोहरा बेगम द्वारा दिनांक 29.05.20013 को सीमांकन का आवेदन पत्र लगाया गया तथा राजस्व निरीक्षक ललित कुमार धार्वे द्वारा दिनांक 30.04.2013 को कृषकों को सूचना दी गई थी, मौके में सभी कृषक हाजिर थे। तथा आवेदक को भी सूचना दी गई। तथा दिनांक 30.04.2013 को सीमांकन की पुष्टि कर दी गई। आवेदक को नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई।

सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा गलत तरीके से किया गया, आवेदक शंभू द्वारा आपत्ति भी की गई किन्तु आर.आई द्वारा ध्यान नही दिया गया। तथा मनमाने तरीके से सीमांकन कर पुष्टि कर दी गई जिससे दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी पेश की जा रही है।

निगरानी के आधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R..5154–III/16 जिला–शहडोल

शम्भू बैगा/ जोहरा बेगम

(1)	(2)	(3)
18.01.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	